

आदेश

श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, पंच, ग्राम पंचायत उदारसी, वार्ड नं० 04 खण्ड थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 08.11.2024 जो उपायुक्त, कुरुक्षेत्र के सिफारिश पत्र क्रमांक/5411/पंचायत दिनांक 22.05.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
10.06.2025

दुष्मंता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००५-2025 / 26959-65 दिनांक : 17/6/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर--17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, कुरुक्षेत्र को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक/5411/पंचायत दिनांक 22.05.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, थानेसर (जिला कुरुक्षेत्र)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत उदारसी, खण्ड थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।
6. श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी गांव उदारसी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Sh. Goring/Sh. Mahit

सहायक निदेशक

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।